

सुलेमान की मोब्लिंग को लेकर जलगांव के जिम्मेदारों की एस पी से मुलाकात



८ आरोपी गिरफ्तार, मकोका लगाने और एस आई टी कमेटी गठित करने की मांग

जलगांव। संवाददाता जामनेर शहर से करीब १८ किलोमीटर दूर बेटावद गांव के २१ साल के मुस्लिम युवा सुलेमान को आतंकियों ने बड़ी बेदर्दी बर्बरता और आतंक का नंगा नाच खेला और पीट पीट कर मार डाला, लोग इन गुंडों को देखते रहे मगर कुछ ना कर पाए, बिल्कुल फिल्मि स्टाइल में इन आतंकियों ने मर्डर किया, जामनेर शहर से मारते हुए बेटावद गांव आए, फिर गांव के लोगों को धमकाया, कोई क़रीब ना आया, मृतक सुलेमान के पिता, बूढ़े दादा और प्रेगनेंट बहन को भी मार मारकर ज़ख्मी कर दिया और ये सब दिन के उजाले में खुले आसमान के नीचे लोगों की आंखों के सामने हुआ, ये हाल हो गया महाराष्ट्र का, बिल्कुल यूपी बिहार की स्थिति बन गई है महाराष्ट्र की, और ख़ास बात ये के ये शहर जामनेर बीजेपी के दिग्गज नेता मंत्री महोदय गिरीश महाजन का है, राजनीतिक गलियारों में इसी का ख़ास ज़िक्र किया जा रहा है, आज कांग्रेस नेता और जमीयत उलमा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, अब्दुल करीम सालार, अब्दुल अज़ीज़ सालार, इक़बाल पीरजादे, जमील शेख, शाहिद मेबर, सैयद अयाज़ अली, खालिद बाबा बागवान,अमजद पठान, फारूक कादरी, शहीद पटेल, रिज़वान जागीरदार, अब्दुल्लाह सर इरफान सालार और भी मान्यवर बड़ी तादाद में एसपी साहब से मुलाकात के लिए पहुंच गए, इस, बर्बरता दरिंदगी और मोब्लिंग को लेकर तफसीली बात हुई,

एसपी साहब ने बताया कि अबतक ८ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कांग्रेस नेता ने और कुछ उन आरोपियों के नाम एसपी साहब को दिए जिनका ज़िक्र गांव वालों ने और मृतक के परिवार ने किया, एसपी साहब ने यक़ीन दिलाया कि सबकी जांच निष्पक्षता से की जाएगी, मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों ने इस पूरे मामले में आरोपियों पर मकोका लगाने और एस आई टी कमेटी गठित करने की मांग की।

हर हिन्दू मुस्लिम पर्सनल तौर पर इस घटना की निंदा कर रहा है, एसपी साहब ने भी दुख जताते हुए कड़ी कार्रवाई का यक़ीन दिलाया।

शेगांव-पंढरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, सांसद बजरंग सोनवणेने संसद में उठाया प्रश्न, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जवाब

बीड/प्रतिनिधि शेगांव-पंढरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग ५४८३ का परतूर से कळंब तक का हिस्सा बीड जिले से गुजरता है। इस खंड में अधूरे काम, जोड़ने वाले रास्ते और बाधाओं के कारण रुके हुए कार्य, सड़क निर्माण की निम्न गुणवत्ता तथा इससे नागरिकों को हो रही असुविधा और दुर्घटनाओं के विषय में सांसद बजरंग सोनवणे ने संसद में प्रश्न उठाया था। उन्होंने सड़क कार्य की खराब गुणवत्ता, तकनीकी खामियां और ठेकेदारों की मनमानी पर भी चिंता व्यक्त की।

इस प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अधूरे कार्यों को तुरंत पूरा करने के साथ ही काम की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। गडकरी ने बताया कि शेगांव-पंढरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग ५४८३ की कुल ७२० किलोमीटर लंबाई में से ७०८ किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष १२ किलोमीटर का काम विभिन्न चरणों में है। इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से २०२७-२८ तक पूरा करने का लक्ष्य है।

परतूर-माजलगांव (किमी ५१-१०१) खंड का कार्य वर्ष २०१७ में शुरू हुआ था और इसे ३१ जुलाई २०१९ तक पूरा होना था, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ भूमि अधिग्रहण में देरी और अन्य प्रारंभिक तैयारियों में अड़चनों के कारण यह काम छह साल से अटका हुआ है। माजलगांव तहसील के सादोळा गांव के पास ६०० मीटर सड़क स्थानीय विरोध के कारण अब तक अधूरी है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा।

माजलगांव-केज और केज-कळंब खंडों के लिए ९३८.३५ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अब तक ६९० करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इस खंड का शेष कार्य दिसंबर २०२५ तक पूरा करने की योजना है। इस राजमार्ग के धारु घाट में वैकल्पिक मार्ग का निर्माण और बर्दापूर-लोखंडी सावगांव के दोहरीकरण का कार्य समय पर और मानकों के अनुसार किया जाएगा।

इन अधूरी सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने और हेल्मेट का उपयोग न करने के कारण दुर्घटनाएं हुई हैं। पीड़ितों को हित एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित योजना २०२२ के तहत मुआवजा दिया जा रहा है। सभी परियोजनाओं की गुणवत्ता की कड़ी जांच की जाएगी और मानकों के अनुरूप न होने वाले कार्यों का पुनर्निर्माण कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, ऐसा भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर में कहा।

पुराने वाहनों के लिए एचएसआरपी लगाने की अंतिम तारीख ३० नवंबर तक बढ़ाई गई

मुंबई, दिनांक १४: राज्य सरकार ने १ अप्रैल २०१९ से पहले पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्थोरेटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब ३० नवंबर २०२५ कर दी है। इससे पहले यह समयसीमा १५ अगस्त २०२५ थी, लेकिन वाहन मालिकों से अपेक्षित प्रतिक्रिया न मिलने के कारण यह निर्णय लिया गया।

सभी पुराने वाहन मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट <http://transport.maharashtra.gov.in> पर जाकर ३० नवंबर तक अपॉइंटमेंट लेकर एचएसआरपी प्लेट लगवाएं। समयसीमा समाप्त होने के बाद, यानी १ दिसंबर २०२५ से, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर वायुवेग पथक (स्पीड स्कान) के माध्यम से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, ३० नवंबर तक अपॉइंटमेंट ले चुके वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह स्पष्ट करते हुए सह परिवहन आयुक्त शैलेश कामत ने कहा कि १ अप्रैल २०१९ से पहले पंजीकृत सभी वाहन मालिक तुरंत एचएसआरपी प्लेट लगवाकर नियमों का पालन करें।

लोकनेता विनायकराव मेटे को पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित

बीड (प्रतिनिधि) - शिवसंग्राम के संस्थापक अध्यक्ष, लोकनेता विनायकराव मेटे साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर बीड स्थित उनके स्मृति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक और समाज के विभिन्न वर्गों के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मराठा आरक्षण के साथ ही मुस्लिम और धनगर आरक्षण के लिए लगातार संघर्ष करने वाले लोकनेता विनायकराव मेटे साहब का १४ अगस्त २०२२ को, मराठा आरक्षण के लिए होने वाली मुंबई बैठक में जाते समय एक दुखद सड़क हादसे में निधन हो गया था। बीड जिले के भूमिपुत्र विनायकराव मेटे का जन्म राजेगांव गांव में हुआ था। पेट की भूख मिटाने के लिए मजदूरी करने मुंबई पहुंचे मेटे साहब ने ३५ वर्षों तक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता साबित की।

शिवस्मारक और अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही बीड शहर और जिले के ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने के लिए उन्होंने हमेशा सतत प्रयास किए। ऐसे बहुआयामी नेतृत्व के जाने से समाज में बड़ी रिक्तता उत्पन्न हुई है।

आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर असंख्य कार्यकर्ता और प्रशंसक एकत्र होकर भारी मन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। इस अवसर पर शिवसंग्राम अध्यक्ष डॉ. ज्योति विनायकराव मेटे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभाकर कोलंगडे, वरिष्ठ नेता नारायणराव काशीद, जिलाध्यक्ष प्रा. सुभाष जाधव, बी.बी. जाधव, अनिल घुमरे, सुहास पाटील, संजय पवार, प्रमोद कुलकर्णी, राजेश भुसारी, गोरख शिंदे, सचिन शिंदे, सैयद रऊफ और नव-निर्वाचित वकील संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।

नवीन उमीद अधिनियम-२०२५ पर राज्यभर में विभागीय बैठकें आयोजित होंगी

नए कानून का सख्ती से पालन होगा-अध्यक्ष समीर काज़ी

छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) - वक्फ अधिनियम-२०२५ उमीद कानून से संबंधित राजस्व विभाग की धाराओं के तहत आज विभागीय आयुक्त कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी (राज्यमंत्री दर्जा) की अध्यक्षता में इस बैठक में राजस्व विभाग के निर्देश दिनांक १३-०४-२०१६ के कार्यान्वयन, वक्फ भूमि का अधिग्रहण, अतिक्रमण, भूमि खालसा करना, एनओसी (अनापति प्रमाणपत्र) और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की गई।

बैठक के बाद अध्यक्ष समीर काज़ी ने जानकारी देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड और राजस्व विभाग के बीच तालमेल के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा, हम राज्यभर में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, विकास और उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। जल्द ही राज्य के सभी विभागों में ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी।

इस बैठक में विभागीय आयुक्त पापडकर, मराठवाड़ा के सभी जिलाधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ऑनलाइन मौजूद थे। साथ ही वक्फ बोर्ड के सदस्य इफ्तेखार हाशमी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद सैयद, विशेष अधीक्षक खुर्रो खान और जिला वक्फ अधिकारी शोएब मूसा भी उपस्थित थे। यह बैठक अध्यक्ष समीर काज़ी की पहल पर आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य राजस्व विभाग, पुलिस और नगर निगम प्रशासन के साथ आने वाली अड़चनों को दूर करना था।

नए कानून को लेकर जो कुछ भ्रम हैं, उन्हें दूर करके केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए इसकी धाराओं का सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य था। बैठक सकारात्मक माहौल में हुई। इससे पहले वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद सैयद ने प्रस्तावना प्रस्तुत की और नए कानून के तहत किए गए बदलावों और प्रावधानों के कार्यान्वयन संबंधी मुझाव रखे।

उमीद कानून के तहत पंजीकरण जिलाधिकारी स्तर पर किया जाएगा। पंजीकरण का प्रस्ताव जिला वक्फ अधिकारी की ओर से ६० दिनों में जांच कर भेजा जाएगा और जिलाधिकारी की राय के बाद पंजीकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। शासन निर्णय १३-०४-२०१६ के अनुसार, वक्फ संपत्तियों के ७/१२ उतार (सातबारा) में जो अवैध प्रविष्टियां की गई हैं, उन्हें तुरंत हटाकर सातबारा पर वक्फ प्रतिबंधित

स्वामित्व का उल्लेख किया जाए, ऐसी सूचना दी गई।

भूमि अधिग्रहण की राशि सीधे अदा न की जाए

राजस्व विभाग के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों के अधिग्रहण के मामले में उमीद कानून के तहत अब वक्फ बोर्ड की अनुमति और सुनवाई में सहभागिता के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। साथ ही अधिग्रहण की राशि वक्फ के खाते में जमा करने का निर्णय होने तक मुतवल्ली, ट्रस्ट या निजी व्यक्तियों को कोई मुआवजा न दिया जाए। राजस्व विभाग के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया गया। वक्फ अधिनियम १९९५ के ५२-ए के अंतर्गत टालमटोल बंद कर संबंधित पुलिस अधिकारियों से मामलों की रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश विभागीय आयुक्त ने दिए।

मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का मुद्दा सुलझने वाला

इस मौके पर अध्यक्ष समीर काज़ी ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए लाउडस्पीकर के उपयोग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिन मस्जिदों का पंजीकरण वक्फ बोर्ड में है, उन्हें विधिवत दस्तावेज लेकर तुरंत अनुमति दी जाए। इस पर सभी पुलिस अधिकारियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

कोस्टल रोड आज से २४ घंटे खुला

◀ सालाना ५० किलोमीटर मेट्रो मार्ग निर्माण कार्य जारी : मुख्यमंत्री

▶ एमएमआरडीए के विभिन्न प्रकल्पों का लोकार्पण

विशेष प्रतिनिधि मुंबई :
‘मुंबई विदिन ५९ मिनट्स’ का सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है। मेट्रो नेटवर्क तेजी से विस्तार कर रहा है और हर साल कम से कम ५० किलोमीटर मेट्रो मार्ग तैयार हो रहे हैं। साथ ही, सड़कों का जाल भी बेहतर तरीके से बिछाया जा रहा है, जिससे यातायात जाम से मुंबइकरों को राहत मिलेगी। दो महत्वपूर्ण लिंक पुलों से पूर्व और पश्चिम उपनगरों के बीच यात्रा समय में बचत होगी, ऐसा प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया।

वांद्रे के प्राधिकरण पोडियम पर प्राधिकरण और बृहन्मुंबई महानगरपालिका के विभिन्न प्रकल्पों का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ, इसी मौके पर वे बोल रहे थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार, महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि १५ अगस्त से मुंबई का कोस्टल रोड नागरिकों के लिए २४ घंटे खुला रहेगा। उन्होंने वाहन


चालकों से कोस्टल रोड पर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि पूरा कोस्टल रोड सीसीटीवी की निगरानी में है। यह मार्ग यातायात के दृष्टिकोण से

क्रांतिकारी साबित होगा। इसमें पैदल यात्रियों के लिए आकर्षक वॉकिंग ट्रैक और साइकिल ट्रैक भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम द्रुतगती

महामार्ग पर यातायात का दबाव कम करने के लिए समानांतर मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। मुंबई के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले टनल, लिंक ब्रिज और फ्लाईओवर यातायात को सुगम बनाएंगे। २०२८-२९ तक मुंबई में चल रहे विकास प्रकल्पों को पूरा करने का लक्ष्य है। मुंबई के विकास के साथ-साथ यह पर्यावरण-हितैषी हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पर्यावरण की अनदेखी कर सतत विकास संभव नहीं है, इसलिए विकास परियोजनाओं को लागू करते समय पर्यावरण को प्राथमिकता दी जा रही है। नए प्रकल्पों के लिए विदेश की तकनीक से भी बेहतर और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जल्द ही उपनगरीय रेल में भी मेट्रो की तरह वातानुकूलित और स्वचालित दरवाजों वाले डिब्बे उपलब्ध होंगे। मेट्रो प्रकल्प केवल यातायात सुधार के लिए नहीं, बल्कि रोजगार सृजन का भी एक प्रभावी माध्यम है। कर्मचारियों को अच्छा निवास और सुविधाएं मिलने पर उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। विकास में कोई समझौता किए बिना, मुंबई की प्रगति की रफ्तार और तेज करेंगे, ऐसा विश्वास भी मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया।

फडणवीस को प्रधानमंत्री पद के सपने आने से लाया गया जनसुरक्षा कानून: हर्षवर्धन सपकाळ का आरोप

शरद पवार और उद्धव ठाकरे का मोदी, भाजपा व महायुती पर तीखा हमला

मुंबई (जमीर काजी) – देवेंद्र फडणवीस द्वारा लाया गया जनसुरक्षा नामक कानून वास्तव में लोकशाही असुरक्षा कानून है। महाराष्ट्र के इस 'चिप' मंत्री को अब दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री बनने के सपने दिनदहाड़े आने लगे हैं। इसी के लिए गोवलवलकर के बंच ऑफ थॉट के मुताबिक 'अभिप्रेत भारत' बनाने की कोशिशें शुरू हैं, ऐसी तीखी आलोचना कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने गुरुवार को की।

जनसुरक्षा कानून विरोधी संघर्ष समिति की ओर से यशवंतराव चव्हाण सेंटर में निर्धार परिषद आयोजित की गई। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष व सांसद शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और महायुती सरकार पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम में सांसद सुप्रिया सुले, सांसद अनिल देसाई, विधायक विनोद निकोले, अजित नवले, भारत पाटणकर, प्रकाश रेड्डी, उल्का महाजन, भालचंद्र कांगो, उदय भट, कमरान प्रकाश रेड्डी, राजेंद्र कोरेडे आदि मंच पर उपस्थित थे।

सपकाळ ने कहा कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए उत्तर में एक बाबा आगे हैं और अगर वह आगे निकल गए तो फडणवीस के लिए मुश्किल होगी। यह देखकर उन्होंने अपनी मातृभाषा वालों की पीठ में भी छुरा घोंपने का काम किया है। सत्ता-लालसा और बंच ऑफ थॉट के लिए यह कानून लाया गया है। लेकिन सभी संविधान-समर्थक लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। भले ही वामपंथी और दक्षिणपंथी में विचारों का मतभेद हो, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। अंग्रेजों ने जेल, मेल और रेल का सूत्र अपनाकर शासन किया था, और वर्तमान सत्ताधारी भी

वही सूत्र अपना रहे हैं। अब चिट्ठियों की जगह मेल हो गया है, उसका नियंत्रण इनके पास है। विश्वविद्यालयों की हालत खराब है लेकिन 'व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी' खूब चल रही है, और जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। सरकार के पास वेतन देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन 'शक्तीपीठ' नामक हाईवे के लिए ८८,००० करोड़ रुपये हैं। यह हाईवे एक उद्योगपति के लिए बनाया जा रहा है और मुंबई की जमीन दूसरे उद्योगपति को दी गई है। सरकार के पास बुलडोजर है और वह लोकतंत्र पर भी चला सकती है। इस सरकार के न कान हैं, न आंखें, और न ही अक्ल। ऐसे में लड़ने की पद्धति भी बदलनी होगी। कांग्रेस पार्टी ने जनसुरक्षा कानून का तीव्र विरोध किया है। राज्य के हर जिले में इस

कानून की होली जलाकर, मशाल यात्रा निकालकर विरोध दर्ज कराया गया है और आगे भी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध जारी रखेगी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि हमने चुनाव अलग-अलग लड़े हों, लेकिन आज राष्ट्रीय जरूरत के तहत हम एकजुट हैं। लोकतंत्र के मूल्यों पर संकट आया है, संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, न्यायपालिका में भी हस्तक्षेप हो चुका है। एक पार्टी का काम करने वाले व्यक्ति को न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है। जनसुरक्षा कानून ने विचार और मौलिक अधिकारों पर हमला किया है। अब इस सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है, और इसके लिए हम पूरी ताकत से आपके साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वामपंथी और दक्षिणपंथी का कोई भेदभाव न करते हुए, लोकतंत्र पर आए इस संकट को दूर करने के लिए सभी लोग एकजुट हुए हैं। इस सरकार द्वारा लाए गए इस कानून को रद्द कराने के लिए हम तीव्र संघर्ष करेंगे।



ओवेडकरवादी, प्रागिन, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवा

जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में बादल फटने से ४० की मौत, १०० घायल, बचाव अभियान में सेना शामिल

जम्मू-कश्मीर। संवाददाता जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इस हादसे में अभी तक ४० लोगों की मौत हुई है। खबरों के मुताबिक, करीब १०० लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं, छच्छर के साथ बचाव अभियान में सेना भी शामिल है। यह आपदा मचैल माता मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले अंतिम मोटर योग्य गांव चशोटी में दोपहर १२ बजे से १ बजे के बीच उस समय आई जब मचैल माता यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मौजूदा स्थिति पर बात की। एक्स पर एक पोस्ट में, शाह ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और सरकार स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है।



मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले 'एट होम' समारोह को रद्द कर दिया है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुबह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रद्द करने का फैसला किया है। अब्दुल्ला ने कहा कि किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई त्रासदी को देखते हुए, मैंने कल शाम को

होने वाली एट होम चाय पार्टी रद्द करने का निर्णय लिया है। हमने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुबह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। बादल फटने की यह घटना मचैल माता तीर्थयात्रा के दौरान हुई है। चशोती वह आखिरी जगह है जहां तीर्थयात्रा में

आने वाले लोग अपने वाहनों को पार्क करते हैं और इसके बाद २,८०० मीटर की ऊंचाई पर स्थित मचैल माता मंदिर तक पैदल यात्रा शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में किश्तवाड़ के डीसी पंकज कुमार शर्मा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा से बात की है। डीसी शर्मा ने बताया कि इलाके में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। बादल फटने की घटना के बाद जम्मू-कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष और पहर-नागसेनी के विधायक सुनील कुमार शर्मा ने कहा, हमारे पास अभी तक कोई संख्या या डेटा नहीं है लेकिन वहां भारी नुकसान की आशंका है। अंशुका है। उपराज्यपाल से बात करूंगा और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ टीम की मांग करूंगा।

चकलबांबा में रेत तस्करों पर फिर कार्रवाई, ३० लाख का माल जब्त

चकलबांबा, १३ अगस्त २०२५ - पुलिस अधीक्षक नवनीत कांवट के अवैध धंधों पर कड़ी कार्रवाई के आदेशों के तहत चकलबांबा में सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप पाटिल ने एक बार फिर रेत तस्करों पर कार्रवाई की है। नदी पात्र में की गई इस छापेमारी में ३० लाख १८ हजार रुपये का माल जब्त किया गया। इस मामले में चकलबांबा पुलिस थाने में १) बालू पवार निवासी गुलज और एक अज्ञात व्यक्ति सहित कुल दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चकलबांबा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप पाटिल ने पिछले कुछ दिनों में रेत तस्करों पर कई बड़ी कार्रवाइयों की हैं। मंगलवार (१२ अगस्त २०२५) को भी पंचाळेश्वर में नदी पात्र में दो ट्रैक्टरों से चोरी-छिपे रेत परिवहन किए जाने की सूचना पुलिस को

मिली थी। सूचना के आधार पर पाटिल ने अपनी टीम को निर्देश दिए और पुलिस ने मौके पर छापा मारा। इस दौरान रेत तस्करी करते हुए दो ट्रैक्टर पकड़े गए। दोनों वाहनों को पुलिस थाने लाया गया और इस कार्रवाई में कुल ११ लाख रुपये का माल जब्त किया गया। इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नवनीत कांवट, अपर पुलिस अधीक्षक सचिन पांडकर और पुलिस उपअधीक्षक श्री. राजगुरु के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप पाटिल, एएसआई चांदमारे, पुलिस सिपाही हनुमान इंगोले, पुलिस सिपाही सुरेश सुरवसे और पुलिस सिपाही प्रशांत कल्याण घोड़े आदि के संयुक्त प्रयास से की गई।

